न्यायालय : माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर सर्किल कोर्ट रीवा, म0प्र0

निगरानी प्र0क्र0/ /015

निगरानी 2400-II-15

COURT FEE 20 Rs. भारत TWENTY RUPEES

Rs. 20/-

6.15

गिरधारी सिंह बरगाही तनय श्री रामविशाल सिंह बरगाही निवासी ग्राम अमिलिया, तहसीलमनगवां, जिला रीवा, म0प्र0. ----- आवेदक

बनाम

तिलकराज सिंह बरगाही तनय बवोली सिंह बरगाही, निवासी ग्राम अमिलिया, तह0मनगवां, जिला रीवा, म0प्र0. -----अनावेदक

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय राजस्व निरीक्षक वृत्त गढ, तह0मनगवां, जो सीमांकन प्र0क्र0 7-ए/12/2013-14 मे दिनांक 22.6.014 कोपारितकिया गया ।

श्री ...... द्वारा आज दिनांक 24.06.15 को प्रस्तुत किया गया।

रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

क्रमांक........ रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक........ को प्राप्त

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :-

01. यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रक्रियाके विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है ।

02. यह कि निगराकार भूमि ख0नं0 22/3 का भूमिस्वामी है जो भूमि का सीमांकन किया गया है, उससे लगीभूमि है, किंतु निगरागार कोसीमांकन की कोई सूचना नही दीगई वल्कि सीमांकन की सूचना की नोटिस मे आवेदक के कूटरचित हस्ताक्षर बनाये गये व सूचना पत्र में निगराकार के अलावा भी जिन लोगो के हस्ताक्षर बने है, उन लोगो ने अपने हस्ताक्षर नही किए वल्कि वे सब हस्ताक्षर कूट रचित तरीके से राजस्व निरीक्षक द्वारा फर्जी अंकित किए गये है, इस तरह सीमांकन का सूचना पत्र ही अवैधानिक है, जिससे सीमांकन की

निरंतर...

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग.2400 / II / 2015 जिला–रीवा

गिरधारी सिंह बरगाही / तिलकराज सिंह बरगाही

(1)	(2)	(3)
24.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री मनोज तिवारी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, मण्डल गढ़, तहसील मनगवां के प्रकरण क्रमांक 7 / अ–12 / 2013–14 में पारित आदेश दिनांक 22.06.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 15.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	